20 रु. कोर्ट फी भारत बीस रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(1)

226

न्यायालय :- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निग 3523-I 16

1. बरगराम तनय गुलाबसींग लोधी उम्र 55 वर्ष
2. गुलाब तनय लच्छू (फौत)
3. रामनाथ तनय खुमान लोधी उम्र 50 वर्ष
4. उदयराम तनय खुमान लोधी उम्र 38 वर्ष

सभी निवासी डोमा तह० केसली जिला सागर

— आवेदकगण /रिवी.

//बनाम//

1. बबलू तनय कढोरी चमार
2. दशरथ तनय मथरा कोरवार
3. हरिराम तनय पूरन अहिरवार
4. कोमल तनय रामा ठाकुर
5. मुन्ना तनय गोपाल
6. हल्ले वीर तनय श्यामले
7. दामोदर पिता सुखलाल
7. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर सागर

— उत्तरदातागण

अनावेदक 1 लगायत 6 तरतीबी

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1. यहकि आवेदकगण/रिवीजनकर्तागण अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय सागर संभाग के प्र.क्र. 1233अ-59 वर्ष 12-13 पक्षकार गुलाबसींग बनाम बबलू तनय कढोरी चमार वगैरह मे पारित आदेश दिनांक 9.4.13 से दुखित होकर निम्न लिखित तथ्य एवं आधारो पर रिवीजन प्रस्तुत कर प्रार्थी है :-

2. यहकि आवेदकगण ग्राम डोमा के स्थायी निवासी है तथा ग्राम डोमा मे स्थित भूमि खसरा नंबर 390 रकबा 7.94 हेक्टे.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3523/एक/2016 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8-5-17	यह निगरानी आवेदकगण खरगराम पुत्र श्री गुलाब, उदयराम, रामनाथ पुत्र श्री खुमान लोधी, निवासी डोमा द्वारा आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रमांक 123/अ/59 वर्ष 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 09.04.2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है द्वारा अपर कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक 498/अ/59 वर्ष 2000–01 में पारित आदेश दिनांक 18.01. 2001 का काबिल कास्त कर वंटन तहसीलदार केसली के रा.प्र.क्र. 29/अ/19 वर्ष 2000–01 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2001 को विधि–विरूद्ध तरीके वंटन किया गया था। विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44(2) (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। 2. प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण ग्राम. डोमा के स्थायी निवासी है। ग्राम डोमा प.ह.नं. 21, तहसील केसली, जिला सागर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 390 रकवा 7.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 386/1 रकवा 1.61 हैक्टेयर, भूमि म0प्र0 शासन के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि खसरा नम्बर 390 में से रकवा 3.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 386 रकवा 1.61 हैक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि खसरा नम्बर 390 रकवा 3.00 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 386 रकवा 1.61 हैक्टेयर का अपर कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्र0 498/अ/59 वर्ष 2000–01 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2001 का	

काबिल कास्त कर बंटन तहसीलदार केसली के रा.प्र.क्र. 29/अ/19 वर्ष 2000–01 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2001 को विधि–विरूद्ध तरीके से वंटन किया गया था।

3. उक्त भूमि पर आवेदकगण के पिता गुलाब, खुमान का खसरा नम्बर 120/1 रकवा 403.98 एकड एवं खसरा नम्बर 120/3 रकवा 0.99 एकड़ भूमि पर कब्जा खसरा के कालम नम्बर 12 में फसल ज्वार, कोटो बोकर चला आ रहा है। उक्त भूमि का खसरा नम्बर 120/77 नया नम्बर 390, 386 निर्मित हुई है, जिसकी रीनम्बरिंग पर्चा संलग्न है। गुलाब बल्द लच्छू फौत हो चुके है, उनके वारिसान आवेदक क्रमांक 1 खरगराम है।

4– आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क में बताया कि आयुक्त, सागर संभाग, सागर के पारित आदेश दिनांक 09.04.2013 की जानकारी 05.09.2016 को तब हुई, जब अभिभाषक के पास पेशी की जानकारी लेने गये, तब अधिवक्ता ने बताया कि प्रकरण में दिनांक 09.04.2013 को आदेश पारित हो गया है। आवेदकगण ने दिनांक 06.09.2016 को नकल आवेदन आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदकगण को दिनांक 16.09.2016 को नकल प्राप्त हुयी। उक्त विलम्ब अधिवक्ता की गलती से हुआ है। अधिवक्ता की गलती से पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता के सिद्धांत पर आवेदकगण को धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पत्र स्वीकार किया जावे।

5– अनावेदकगण म0प्र0 शासन के अभिभाषक उपस्थित उनका तर्क है कि उक्त भूमि का वंटन म0प्र0 शासन की नीति के अनुसार भूमिहीन व्यक्तियों विधिनुसार भूमि काबिल कास्त करके ग्रामसभा द्वारा पारित सुझाव के अनुसार भूमि वितरण की गयी, जो सही है। उक्त निगरानी अवधि वाह्य होने से निरस्त की जावे।

6– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

7— आवेदकगण के अधिवक्ता ने बताया कि तहसीलदार केसली एवं अपर कलेक्टर, सागर द्वारा काविल कास्त एवं वंटन के समय तहसीलदार केसली द्वारा उक्त भूमि का वंटन अपात्र व्यक्तियों को कर दिया। तहसीलदार केसली द्वारा विधि के विपरीत वंटन किया है, जो अधिकारितारहित है। अधिकारितारहित आदेश विधि में स्थिर नहीं रखा जा सकता है जबकि उक्त भूमि पर आवेदकगण आज भी काबिज होकर कृषि कार्य कर गेहूँ, चना की फसल बोये हुए है। उक्त भूमि पर से आवेदकगण को कभी नहीं हटाया गया। उक्त वंटन की जानकारी आवेदकगण को नहीं दी गयी और उन्हें बगैर सुने तथा उनके राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बावजूद उक्त भूमि का गलत तरीके से कर दिया गया। जबकि उक्त भूमि का व्यवस्थापन विज्ञप्ति क्रमांक 9351/सात सामान्य—2, 28 अक्टूबर, 1957 के तहत किया गया था और खसरा पंचशाला, 1953 के कालम नं. 13 में सक्षम राजस्व निरीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर है। आवेदकगण की भूमिस्वामी अधिकार दिया जावे।

8— आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रमाणिता होती है कि मौजा डोमा व नं. 341 प.ह.नं. 100 तहसील रहली, जिला सागर में स्थित भूमि का खसरा पंचशाला 1953 से 1957—58 कालम नं.12 में गुलाब, खुमान जो आवेदकगण के पिता है, का कब्जा ज्वार एवं कोदो बोकर खसरा नम्बर 120/1, 120/3 पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा रीनम्बरिंग पर्चा में 120/77, नया खसरा नम्बर 390/386 निर्मित हुए है, जो प्रमाणित है। खसरा नम्बर 120/77 रकवा 65.96 हैक्टेयर वर्ष 1982 से 1985—86 के खसरा कालम नं. 12 में आवेदकगण उदयराम, रामनाथ, खरगराम के पिता गुलाब का कब्जा दर्ज है। इसके बाद खसरा पंचशाला वर्ष 1988 से 1992 से खसरा नम्बर 386 रकवा 1.61 पर आवेदकगण का कब्जा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है और उक्त भूमि पर आवेदकगण का कब्जा है। तहसीलदार

केसली के रा.प्र.क्र. 292/19(4) वर्ष 2000–01 के आदेश पत्रिका दिनांक 16.04.2001 हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन के तारतम्य निवेदन किया था कि आदेश दिनांक 04.04.2001 पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाये। जिसमें पट्टा का वितरण सही एवं पात्र व्यक्तियों को हो सके है तथा तहसीलदार केसली के राजस्व प्रकरण क्रमांक 29अ/19(4) 2000–01 में संलग्न प्रदर्श–1 का प्रतिवेदन के अंत में वंटन की जाने वाली भूमि पर लगे हुए कास्तकारों का अतिक्रमण है। भूमि खाली नहीं है, लेख है तथा मौके पर भूमि पर लगे हुए कास्तकारों का अवैध कब्जा है। भूमि वंटन हेतु विवादित है लेख है इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वंटन की कार्यवाही दोषपूर्ण की गयी है तथा उक्त भूमि खाली नहीं करायी गयी तथा न ही पट्टाधारियों को कब्जा दिलाया गया। अपर कलैक्टर, सागर के प्रकरण क्र. 498अ/59 वर्ष 2000–01 के आदेश पत्रिका दिनांक 15.01.2001 नायब तहसीलदार केसली, पटवारी द्वारा प्रस्तुत खसरा के अनुसार कब्जा आवेदकगण का दर्शाया गया। इसी प्रकरण में संलग्न पंचनामा दिनांक 01.01.2001 को कृषकों द्वारा फसल बोई गयी है एवं शासकीय छोटा घास भूमि स्थल निरीक्षण के समय पाया गया था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार केसली को आवेदकगण की आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि का वंटन करने की अधिकारिता नहीं थी।

उक्त प्रकरण में दामोदर के पिता सुखलाल के पिता के पास भूमि है, का लेख है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट प्रमाणित है कि पट्टेधारियों को मौके पर सीमांकन कर कब्जा नहीं सौपा गया है, कब्जा सौपने एवं सीमांकन का प्रतिवेदन उक्त प्रकरण में कही लेख नहीं है मात्र पट्टेधारियों को नाम मात्र का पट्टा दिये गये है, जिससे उन्हें कोई स्वत्व एवं अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जबकि आवेदकगण का स्वामित्व एवं अधिकार अधिक प्राप्त है क्योंकि आवेदकगण के पिता का कब्जा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 के पूर्व का है तथा प्रकरण में प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट क्रमांक

7345/2013 पारित आदेश दिनांक 24.04.2013 को आवेदकगण का वर्ष 1953–54 से कब्जा होने के कारण सुरक्षित किया गया है तथा विधि की प्रक्रिया के बगैर बेदखल न किया जाये का आदेश पारित किया गया है।

आवेदकगण का मध्य भारत भू–आगम विधान अधिनियम, 1950 की धारा 62 एवं विज्ञप्ति क्रमांक 9351 सामान्य–2, 28 अक्टूबर, 1957 विशेष आदेश था। आवेदकगण को भूमि स्वामित्व भूमि का वंटन होता रहा। इस कारण से आवेदकगण के पिता का राजस्व रिकॉर्ड में कब्जाधारी फसल बोकर नाम दर्ज है।

आवेदकगण अधिवक्ता के तर्क से सहमत होते हुए उक्त भूमि भू–आगम तथा कृषक अधिकार विधान की धारा 62 के अधीन खेती के आशय के लिए वितरित करने प्रवाधान है धारा 63(1) विज्ञप्ति क्रमांक 9351(7) एवं दिनांक 28 अक्टूबर, 1957 के अधीन विशेष आदेश था, उसका पालन राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया और इस कारण से आवेदकगण के पिता खुमान गुलाब का खसरा नम्बर 120/1, 120/3 पर राजस्व अभिलेख में फसल तिल्ली, कोदो बोकर कब्जा लेख़ है। उक्त भूमि पूर्व में व्यवस्थापित हो चुकी है, उसका बंटन तहसीलदार केसली को नहीं करना चाहिए था। इस कारण से वंटन निरस्त किया है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर, आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्र0 498अ/59 वर्ष 2000–01 द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2001 तहसीलदार केसली के प्रकरण क्रमांक 29अ/19(4) वर्ष 2000–01 को तहसीलदार केसली द्वारा किया गया। वंटन दिनांक 04.04.2001 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते है तथा तहसीलदार केसली को आदेशित किया जाता है कि मौजा डोमा प.ह.नं.21 में स्थित भूमि खसरा नम्बर 390/2 दामोदर पिता सुखलाल चमार, खसरा नम्बर 390/3 हरीराम पिता पूरन चमार, खसरा नम्बर 390/4 बब्लू पिता करौड़ी पत्नी शील

रानी, खसरा नम्बर 390 / 5 दशरथ पिता मथुरा पत्नी राधारानी कोरी, खसरा नम्बर 386 / 1 हल्केवीर श्यामले गौड पत्नी अर्चना, खसरा नम्बर 386 / 2 मुन्ना पिता गोपाल पत्नी उमरानी, खसरा नम्बर 390 / 6, 386 / 3 कोमल पिता रामा गौड़ पट्टेधारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड से निरस्त कर उक्त भूमि को म0प्र0 शासन दर्ज करें तथा खरगराम, उदयराम, रामनाथ का उक्त भूमि के खसरा नम्बर 390 / 1, 390 / 2, 390 / 3, 390 / 4, 390 / 5, 390 / 6, 386 / 1, 386 / 2, 386 / 3 पर खसरा के कॉलम नम्बर 12 में आवेदकगण का कब्जा पूर्ववत दर्ज करें। भूमिस्वामी स्वत्व का निर्धारण इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। आवेदकगण सक्षम न्यायालय में स्वत्व का निर्धारण कराने के लिए कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगें। इस निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य